it is not possible, at this stage, to give an indication as to when the project be taken up for implementation.

देश में वन-क्षेत्र में वृद्धि

3812 **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 31 दिसम्बर, 1991 तक भारत के वन क्षेत्र से कुल कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में वन-क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या वन-क्षेत्र में वृद्धि करने की प्रक्रिया को अधिक गतिशील और कारगर बनाने के लिए पठारी क्षेत्र और वृक्षहीन पहाड़ी क्षेत्रों पर वन-रोपण को प्राथमिकता दी जायगी; और

(घ) बढ़े हुए वन क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने वृक्ष हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1987-89 की अवधि से संबंधित स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1991 के अनुसार 1985-87 की अवधि से संबंधित स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1989 में 7,51,846 वर्ग कि. मी. की तुलना में देश का दर्ज वन क्षेत्र 7,70,078 वर्ग कि. मी. है रिकार्डेड वन क्षेत्र में 18,232 वर्ग कि. मी. की वृद्धि हुई है ।

(ख) अवधि के दौरान मध्यप्रदेश में रिकार्ड वन क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जी, हां ।

(घ) ऐसे आंकड़ों को नहीं रखा जाता है ।

रेडियो कोलरिंग के कारण चीतों और तेंदुओं की मृत्यु

3813. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो कोलरिंग के कारण कुछ चीतों और तेंदुओं की मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने चीतों और तेंदुओं की मृत्यु हुई और ये मृत्यु किन-किन जंगलों में हुई ; और

(ग) सरकार ने ऐसी रेडियो कोलरिंग को रोकने के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पशुओं को बेहोशी के हीके लगाना तथा उनके गले में रेडियो पट्टे बांधना वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कुछ अनुसंधान अध्ययनों का एक अनिवार्य हिस्सा है । वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के तहत उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के अंतर्गत आने वाले किसी पशु को बेहोशी का टीका लगाने और उसके गले में रेडियो पट्टा बांधने की राज्य सरकार द्वारा अनुमति देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार की अनुमति देते समय, किसी पशु की मृत्यु अथवा यहां तक कि चोट लगने के सम्भावित खतरे को कम से कम करने के लिए अनेक शर्तें लगाई जाती हैं । इसमें से कुछ शर्तें इस प्रकार है :—

(1) एक समय पर केवल एक ही पशु को बेहोशी का टीका लगाने की अनुमति दी जाती है ।